माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–13.07.2026 को अपराह्न 05:00 बजे से पटना जिला के सभी अंचलाधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के साथ राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–13.07.2026 को पटना जिला के राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षात्मक बैठक राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में आयोजित की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारीगण तथा पटना जिला के अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा भाग लिया गया।

समीक्षा में मूल रूप से (क) ऑनलाइन दाखिल–खारिज, (ख) आवेदनों का डिफेक्ट चेक, (ग.) वादों का निष्पादन (घ.) ऑनलाईन परिमार्जन (परिमार्जन प्लस) (ङ.) ई–मापी (च) अभियान बसेरा (छ.) सरकारी भूमि का सत्यापन (ज.) राजस्व महा–अभियान (झ) विभागीय जन शिकायत पोर्टल, (ञ) सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की स्थिति (ट) राजस्व न्यायालय में जिलों की स्थिति एवं ओवरऑल रैंकिग से पदाधिकारियों को अवगत कराया गया।

बैठक में पटना सदर, पाटलीपुत्र एवं दुल्हिनबाजार के अंचलाधिकारी तथा पटना सदर, पाटलीपुत्र, बाढ़, पंडारक, मसौढ़ी, पुनपुन, बिक्रम, दुल्हिनबाजार एवं पालीगंज के राजस्व अधिकारी अनुपस्थित थे।

(i) <u>डिफेक्ट चेक :–</u> समीक्षा के क्रम पाया गया कि अंचल अधिकारी एवं कर्मचारियों के लॉग–ईन पर अत्यधिक मामलें लंबित है, इनके निष्पादन के उपरांत ही दाखिल–खारिज की कार्रवाई की जा सकती है। पटना जिले में डिफेक्ट चेक के 239289 आवेदनों में 13053 मामलें लंबित है, जिनमें अधिक मामलें दीदारगंज, मनेर एवं बिहटा अंचलों के अन्तर्गत है। सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी कार्य योजना बनाकर लंबित मामलों का एक सप्ताह के अन्दर निष्पादन करेंगे।

(ii) <u>दाखिल–खारिज:–</u> सम्पतचक अंचल में 120 दिनों से अधिक लंबित मामलें की संख्या–92 हैं। जिसे शीघ्र निष्पादित किया जाय।

(iii) <u>परिमार्जन :–</u> परिमार्जन के अंतर्गत 120 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या नौबतपुर, दनियावा एवं मोकामा में अधिक हैं, जिसे अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी शीघ्र निष्पादित करेंगें।

(iv) <u>ई–मापी</u> :– ई–मापी से संबंधित लंबित मामलों की संख्या पटना में 7945 है। ई–मापी से संबंधित सभी कार्यो को ऑनलाइन मोड में ही करना सुनिश्चित करेंगें। किसी भी परिस्थिति में ई–मापी का कार्य ऑफलाइन नहीं की जानी है।

(v) <u>अभियान बसेरा</u> :– समीक्षा के क्रम में अभियान बसेरा अन्तर्गत आवेदनों को अस्वीकृत किये जाने के मामलें दुल्हिनबजार एवं धनरूआ अंचल में अधिक पाये गये है। 15 अगस्त 2026 से पहले अभियान बसेरा से संबंधित सभी कार्यो को निश्चित रूप से त्वरित गति से निष्पादन किये जाने का निदेश दिया गया ताकि 15 अगस्त 2026 को अभियान बसेरा से संबंधित लाभुकों का लक्ष्य के अनुरूप पर्चा का वितरण किया जा सके।

(vi) सरकारी भूमि की सत्यापन :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पटना जिला के नौबतपुर, मोकामा, दुल्हिनबजार एवं बिहटा अंचलों में सरकारी भूमि का सत्यापन प्रतिशत काफी कम है, जिसे यथाशीघ्र 100 प्रतिशत पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

(vii) राजस्व महा अभियान :– राजस्व महा अभियान में प्राप्त आवेदनों को सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी अपलोड करते हुए शीघ्र निष्पादित करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) सहयोग पोर्टल :– सहयोग पोर्टल पर लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन की जाय। प्राप्त आवेदन अगर अस्वीकृत किया जाता है तो वैसी स्थिति में अस्वीकृति का कारण "सकारण" होनी चाहिए।

(ix) RCMS:– राजस्व न्यायालय प्रणाली अन्तर्गत अंचलाधिकारी के न्यायालय में संचालित विभिन्न लंबित वादों को त्वरित गति से निष्पादित की जाय एवं निष्पादित वादों में पारित आदेश को अपलोड करने की कार्रवाई की जाय।

माननीय विभागीय मंत्री द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारियों को अपना डोंगल अविलम्ब Activate करते हुए दाखिल–खारिज, परिमार्जन, ई–मापी, अभियान बसेरा, सरकारी भूमि का सत्यापन, फार्मर रजिस्ट्रेशन से संबंधित विषयों को अगले सात दिनों के अन्दर कार्य प्रणाली में सुधार लाते हुए लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन करने हेतु निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह) 24/7/26
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0 (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता)–09/2026– 899 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक –24/7/26

E-mail प्रतिलिपि–प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/समाहर्त्ता, पटना/अपर समाहर्त्ता, पटना/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना/सभी अंचलाधिकारी/सभी राजस्व अधिकारी, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.7.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता)–09/2026– 899 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक 24/7/26

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/सभी अपर सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.7.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता)–09/2026– 899 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक –24/7/26

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव (विभागाध्यक्ष) के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आशुलिपिक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.7.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।